| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| 6/6/25 | पत्रावली पेश हुई। अवलोकन हुआ। राजस्व वाद क्षेत्राधिकार से बाहर होने एवं चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जा चुका है।<br><br>अतः प्रार्थना पत्र का अब कोई औचित्य नहीं होने के कारण से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाती है।<br><br>(हस्ताक्षर)<br>सहायक कलेक्टर बापिणी | |

Reads 24/2/2024

सेवामें,

श्रीमान् सहायक कलेक्टर एवम्

उपखण्ड अधिकारी बापिणी।

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— /2024

तारीख प्रस्तुतीः—

**प्रार्थीगणः—**

1. भोमाराम पुत्र श्री मांगीलाल
2. दुर्गा पुत्री श्री मांगीलाल
3. मैना पुत्री श्री मांगीलाल

जाति मेघवाल, निवासी मतोड़ा,
तहसील बापिणी, जिला फलोदी।

**बनाम**

**अप्रार्थीगणः—**

1. मांगीलाल पुत्र श्री कोजाराम, जाति मेघवाल, निवासी मतोड़ा, तहसील बापिणी, जिला फलोदी।
2. श्रीमान् तहसीलदार बापिणी।

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (दो सौ बारह) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

मान्यवरजी,

प्रार्थीगण की ओर निवेदन निम्न प्रकार हैः—

1. यह है कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय हाजा में बहुत ही मजबूत आधारों पर पेश कर रखा है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की प्रबल सम्भावना है।
2. यह हैं कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की पैतृक कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 518/58 (पांच सौ अठारह बट्टा अठावन) रकबा 0.3984 (शून्य दशमलव तीन नौ आठ चार) हैक्टेयर, ग्राम मौजा मतोड़ा, तहसील बापिणी जिला फलोदी की सरहद में आई हुई है।

B-7

भोमाराम

जो आगे के पदों में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित की जायेगी। जमाबन्दी की नकलें संलग्न है।

3. यह है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 पुर्व पुरूष श्री कोजाराम के वंशज है जिनका वंशवृक्ष निम्न है–

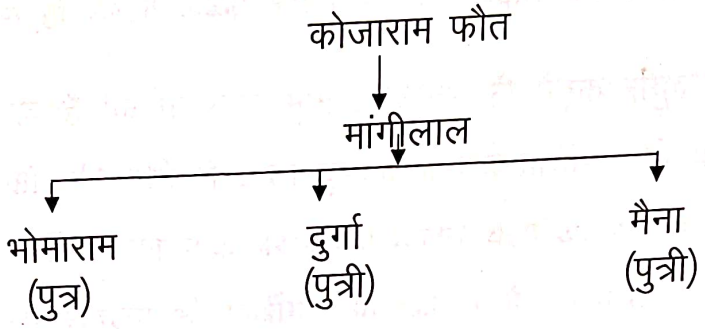


4. यह है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 (एक) की पैतृक भूमि है जो प्रार्थीगण के दादा कोजाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तत्पश्चात् कोजाराम के फौत होने पर उक्त वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के नाम से दर्ज हुई तथा अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के नाम दर्ज भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक भूमि होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 (एक) प्रत्येक का 1/4 (एक बट्टा चार) हिस्सा है तथा प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

5. यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 (एक) ने प्रार्थी को उसके हक हिस्से वाली पैतृक भूमि से महरूम करने की नियत से दिनांक 05.02.2024 (पांच फरवरी दो हजार चौबीस) को अप्रार्थी संख्या 1 (दो) मौके पर अजनबी क्रेताओं को भूमि बेचान हेतु दिखानी शुरू की तब प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को कहा यह भूमि पैतृक भूमि है जिसमें हमारा भी जन्म से हक अधिकार इसलिए आप यह भूमि बेचान नहीं कर सकते तब अप्रार्थी संख्या 1 (एक) ने प्रार्थीगण को कहा यह भूमि मेरे नाम से दर्ज है इसलिए मैं अपनी मनमर्जी अनुसार भूमि बेचान करूंगा साथ ही प्रार्थीगण को मौके बेदखली की एलानिया धमकी। इससे पूर्व भी अप्रार्थी संख्या 1 (एक) पैतृक भूमि का बेचान कर चुका है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को ऐसा करने का कोई

अधिकार नहीं है। इसलिए मजबूरन प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश करना पड़ रहा है कि वादग्रस्त भूमि से अप्रार्थी संख्या 1 (एक) किसी अजनबी क्रेता को बेचान कर प्रार्थीगण को न तो बेदखल करें न ही उसके कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी करें।

6. यह है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक संयुक्त हक अधिकार की भूमि होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थी संख्या 1 राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए भूमि अनजबी क्रेताओं को बेचान कर प्रार्थीगण को मौके से बेदखल करना चाहता है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 ऐसा करने में सफल होता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई रूपयों पैसो में नहीं की जा सकेगी।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 इस आशय की जारी की जावें कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 518/58 (पांच सौ अठारह बट्टा अठावन) रकबा 0.3984 (शून्य दशमलव तीन नौ आठ चार) हैक्टेयर, ग्राम मतोड़ा तहसील बापिणी जिला फलोदी में अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावें किसी प्रकार का बेचान हस्तान्तरण नहीं करें मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

जरिये अधिवक्ता

प्रार्थी